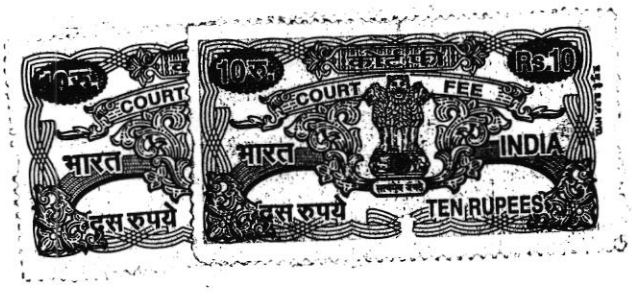

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर, म.प्र.

I/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/1529

श्रीमति सावित्री राजपूत पत्नि त्रिभुवन सिंह राजपूत
निवासी गोपालगंज वार्ड सागर तहसील व जिला सागर, म.प्र.

-- निगरानीकर्ता गण

।। विरूद्ध ।।

मनोज केशरवानी पिता शिवप्रसाद केशरवानी
निवासी जवाहरगंज वार्ड सागर
द्वारा आमदाआम नवीन केशरवानी पिता दशरथलाल केशरवानी
निवासी जवाहरगंज वार्ड सागर तह. व जिला सागर, म.प्र.

-- उत्तरवादी

निगरानी प्र0 क्रमांक: प्रस्तुत दि. :26/02/2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता:-

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1) यह कि, माननीय निम्न न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर जिला सागर, म.प्र. द्वारा राजस्व प्र क्र. बी-121 वर्ष 17-18 में जारी आदेश क्र. /225/ प्रवा.री.तह. /2017 में पारित आदेश दि. 12/01/2018 के अनुसार क्रेताओं द्वारा खसरा नं. 503/2, 503/3 मौजा सागर खास तह. व जिला सागर, म.प्र. में निर्माण कार्य किया जा रहा है जो अवैधानिक है चूंकि खसरा नंबर 503/2, 503/3 का नक्शा बटांक नहीं है अतः सुविधा का संतुलन की दृष्टि उत्तरवादी के पक्ष में है यदि उत्तरवादी को तत्काल स्थगन न दिया गया तो उत्तरवादी को पूर्णनीय क्षति होगी । उत्तरवादी का म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 52 अंतर्गत आवेदन स्वीकार कर मौजा सागर खास प.ह.नं. 65 तहसील सागर ख.नं. 503/2, 503/3, 503/4 पर निगरानीकर्ता एवं अन्य द्वारा किये जा रहे निर्माण को रोकने हेतु पटवारी प्रतिवेदन आने तक निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश दिया गया है जिससे दुखित एवं परि-

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/1529 **जिला** - सागर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **06/03/2018** | प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा नं. 503/4 की भूमि स्वामी सरिता जैन द्वारा खसरे में दर्ज रकवे से ज्यादा रकवा के विक्रय-पत्र संपादित कराये गए हैं, जिनके क्रेताओं द्वारा खसरा नं. 503/2 एवं 503/3 में निर्माण कार्य किया जा रहा है जो अवैधानिक है जबकि खसरा नं. 503/2 एवं 503/3 का नक्शा में बटांक नहीं है। अत: सुविधा संतुलन की दृष्टि से तहसीलदार द्वारा अनावेदक के पक्ष में स्थगन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।<br>दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।<br>**प्रशासकीय सदस्य** | |